न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 53/2016 (225 आरटीए) संग्रामराम बनाम देवाराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2016/00018)

संग्रामराम पुत्र जवानराम जाति जाट निवासी मुरकासनी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 देवाराम पुत्र लादूराम,
2 रामदीन पुत्र लादूराम
जातियान जाट निवासीगण मुरकासनी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
3 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।
4 तुलछाराम पुत्र जवानराम,
5 गुणाराम पुत्र जवानराम,
6 प्रकाश पुत्र धोकलराम,
7 हरसुख पुत्र धोकलराम,
8 शोभा पुत्री धोकलराम,
9 समुड़ी पत्नी धोकलराम जातियान जाट निवासीगण मुरकासनी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
10 सरपंच ग्राम पंचायत झाक तहसील बिलाड़ा।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा दिनांक 28.04.2016 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 5/2014

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री परमवीर सिंह।
2 रेस्पो सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया।
3 रेस्पो. सं. 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।
4 रेस्पो. सं. 4, 5, 7, 8, 9 की ओर से अधिवक्ता श्री ईश्वरसिंह।
5 रेस्पो.सं. 2 व 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रेस्पो. सं. 6 साल से लापता 8 वर्ष से।

निर्णय

दिनांक : 28.01.2019

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 5/2015 में पारित आदेश दिनांक 28.04.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट/प्रार्थी की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 5/2014 पेश किया कि ग्राम मुरकासनी की राजस्व सीमा में अपीलांट व उसके भाईयों की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नं. 3 रकबा 51 बीघा 6 बिस्वा आई हुई है। अपीलांट के उक्त खेत खसरा नं. 3 रकबा के चिपते दक्षिण में खसरा नं. 6 गै.मु. आगोर व खसरा नं. 6 के चिपते दक्षिण पूर्व तरफ खसरा नं. 7 किस्म गै.मु. नाड़ी की भूमि आई हुई है। अपीलांट के खेत पर आने जाने हेतु कोई कटानी रास्ता नहीं हैं। खेत खसरा नं. 3 में आने जाने का एक मात्र रास्ता पीढ़ियों से उक्त खसरा नं. 6 व 7 से होता हुआ प्रतिवादी सं. 1 व 2 के खेत खसरा नं. 8 से चलकर उससे सटे रास्ते के खसरा सं. 61 तक जाता है, जो गांव वालों एवं गांव के मवेशियों के नाड़ी एवं आगोर में जाने के लिये एक मात्र रास्ता है। उक्त कदीमी रास्ते से ही नाड़ी व आगोर की भूमि से होता हुआ अपीलांट पीढ़ियों से अपने में खेत में जा रहा है। मूल खसरा नं. 8 के खातेदार रेस्पोडेंट्स सं. 1 व 2 द्वारा उक्त खसरे को दो भागों में विभक्त कर बीच से यह कदीमी रास्ता वर्षों से छोड़ा गया है जिसको अपीलांट नियमानुसार भूमि के रुपये अदा कर रास्ता घोषित करवाने का अधिकारी है। रेस्पो. सं. 1 व 2 द्वारा जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट के पास रणसीगांव की सरहद से आता हुआ वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पो. सं. 10 ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये रास्ता घोषित करवाने की सहमति प्रस्तुत की गई। मातहत अदालत द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जो भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें पाया कि खेत खसरा नं. में जाने का कोई कटानी रास्ता उपलब्ध नहीं हैं मगर खसरा नं. 7 गैर मुमकिन नाड़ी व खसरा नं. 6 गैर मुमकिन आगोर में से जाने का कदीमी रास्ता पश्चिम उत्तर दिशा में मौजूद है। गांव के लोग व गांव के समस्त माल मवेशी इसी रास्ते से आते जाते हैं। परंतु उनके द्वारा मनगढंत तरीके से एवं रेस्पो. सं. 1 व 2 से मिली भगत क़र खसरा नं. 8 में से रास्ते के खसरा नं. 61 को नाड़ी से जोड़ने वाले कदमी रास्ते को छुपाया गया है तथा अपीलांट के भतीजे द्वारा खरीदसुदा भूमि में से रास्ता होने तथा रणसीगांव की सीमा से रास्ता होने का गलत कथन कर जांच

रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त जांच रिपोर्ट अपीलांट की गैर हाजरी में रेस्पो. संत्र. 1 व 2 की मिली भगत से बनाये जाने के कारण अपीलांट द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की गई जिस पर नायब तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा मौका जांच की गई परंतु उक्त मोका रिपोर्ट भी अपीलांट की अनुपस्थिति में रेस्पो. सं. 1 व 2 से मिली भगत से बनवाई गई। हालांकि उक्त रिपोर्ट में दर्शाया गया कि अपीलांट की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नं. 3 को 6 भागों में खातेदारों द्वारा बांट कर विभक्त किया गया है तथा सभी अपने–अपने हिस्से की बंटवारे की भूमि पर काबिज हैं। परंतु जान–बूझ कर अपीलांट के बंट में आई भूमि को नहीं दर्शाया गया है जिससे माननीय न्यायालय को गुमराह कर अन्य वैकल्पिक रास्ते बनाये जा सकें जबकि अपीलांट के पास अपने की हिस्से की भूमि पर जाने के लिये चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध ही नहीं है। उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 21.09.2014 बाबत अपीलांट द्वारा ऐतराज प्रस्तुत किये गये परंतु मातहत अदालत द्वारा उक्त ऐतराजों पर गौर नहीं किया गया है। मातहत अदालत के समक्ष अपीलांट की ओर से अपने वाद के समर्थन में लगभग 18 पड़ोसियों एवं ग्राम वासियों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। जिन्होंने अपीलांट की प्रार्थना की ताहिद की गई तथा रणसीगांव की सरहद में कोई रास्ता न होने के कारण किया गया साथ ही ग्राम वासियों द्वारा सामुहिक रूप से खसरा नं. 8 में से अपीलांट द्वारा चाहे गये रास्ते को खुलवाने हेतु अभ्यावेदन भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें ग्राम वासियों के नाड़ी व आगोर की भूमि के सार्वजनिक उपयोग हेतु भी उक्त रास्ता चाहा गया। मातहत अदालत द्वारा बहस सुनी जाकर उपरोक्त मनगढ़त एवं एक तरफा तैयार की गई मौका रिपोर्ट को सत्य मानकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को दर किनार कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपने आदेश दिनांक 28.04.2016 के द्वारा खारिज कर दिया गया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2016 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री परमवीर सिंह ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि मातहत अदालत का आदेश विधि विधान, संचिका, अभिलेख के तथ्यों के विरुद्ध न्याय के विपरीत कानूनन व इंसाफन गलत होने के कारण काबिल खारिज है। मातहत अदालत द्वारा मात्र मौका रिपोर्ट जो अपीलांट की अनुपस्थिति में गैर कानूनी व मनमाने तरीके से तैयार की गई है जिसको आधार मानते हुये

अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा ग्राम वासियों एवं अन्य क्षेत्रवासियों के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह पूर्णतया स्पष्ट तौर पर साबित किया था कि अपीलांट के खेत खसरा नं. 3 में अपने हिस्से की भूमि पर जाने के लिये कोई कटानी रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा अपीलांट द्वारा चाहा गया रास्ता ही एक मात्र रास्ता उपलब्ध है जिसका उपयोग अपीलांट एवं अन्य ग्रामवासी कई वर्षो से उपयोग में ले रहे हैं जो नाड़ी व आगोर की सार्वजनिक भूमि में से होता हुआ रेस्पो. सं. 1 व 2 के खसरा नं. 8 से गुजर कर सड़क के खसरा नं. 61 में प्रवेश करता है परंतु मातहत अदालत द्वारा अखण्डित साक्ष्य को दरकिनार करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो पूर्णतया अविधिक एवं मनमाना होने से खारिज किये जाने योग्य है। मौका रिपोर्ट दिनांक 10.02.2014 को पढ़ने मात्र से विदित है कि अपीलांट के खातेदारी खेत में कोई कटानी रास्ता उपलब्ध नहीं हैं अतः अपीलांट चाहा गया रास्ता दिये जाने योग्य है। इस रास्ते का उपयोग सार्वजनिक रूप से समस्त ग्रामवासी करते हैं इसलिये यह रास्ता स्वीकृत किया जाना आवश्यक है अन्यथा आगोर व नाड़ी के सार्वजनिक उपयोग से ग्रामवासियों को वंचित होना पड़ सकता है। मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्तों को बताया गया है लेकिन वे कटानी रास्ते नहीं हैं इस प्रकार मौका रिपोर्ट के तथ्य सही नहीं हैं जिन रास्तो को बताया जा रहा है उन रास्तों के खेतों के खातेदारों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय ने दरकिनार कर केवल मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। प्रकरण के विचाराधीन होने के दौरान श्रवण द्वारा रास्ते के लिये भूमि खरीद कर रास्ता उपलब्ध होने के तथ्य के आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जबकि खरीदसुदा भूमि से कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया ने बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो आपत्तियां उठाई गई उसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई गई व अपीलांट की आपत्तियों का विधि अनुसार निस्तारण किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलांट/प्रार्थी के खेत पर जाने के लिये दो वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं व चालू हैं ऐसी स्थिति में धारा 251क के तहत अपीलांट को कोई नया रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। अपीलांट/प्रार्थी का कथन है कि रास्ता कटानी नहीं हैं अतः रास्ता स्वीकृत कराना चाहता है

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

जबकि धारा 251क के तहत खेत पर जाने के लिये कटानी रास्ता होना आवश्यक नहीं हैं, यदि कोई वैकल्पिक रास्ता है जो कटान में हो या नहीं तो भी रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अपीलांट को नये रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं हैं बल्कि उसके लिये पहले से रास्ता उपलब्ध है। इस प्रकरण के विचाराधीन रहने के दौरान श्रवण ने रास्ते के लिये भूमि खरीद कर उपलब्ध करवाई है वह रास्ते की भूमि भी अपीलांट प्रार्थी को रास्ते के रूप में उपलब्ध है। जब तक श्रवण की ओर से कोई विरोध अथवा आपत्ति नहीं हो तब तक नया रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। अतः अपीलांट की अपील वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध होने के कारण खारिज योग्य है। तदनुसार अपील खारिज करने का निवेदन किया।

रेस्पो. सं. 4, 5, 7, 8 व 9 की ओर से अधिवक्ता श्री ईश्वरसिंह ने अपनी बहस में रेस्पो. सं. 1 के अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षकारन को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं की है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अपीलांट द्वारा केवल अपने हिस्से की भूमि के लिये रास्ता चाहा है जबकि यह भूमि संयुक्त खातेदारी की है जिससे अपीलांट के हिस्से की भूमि को बिना विभाजन के चिन्हित नहीं किया जा सकता। अतः संयुक्त खातेदारी की भूमि के लिये केवल अपीलांट द्वारा रास्ते के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण में सभी सह खातेदारों की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है अतः प्रार्थना पत्र मैंटेनेबल नहीं हैं। इसके अलावा अपीलांट ने स्वयं यह कथन किया है कि प्रार्थना पत्र में चाहा गया प्रस्तावित रास्ता पीढ़ियों से चालू है तथा वह उसका उपयोग करता आया है व कर रहा है ऐसी स्थिति में अपीलांट/प्रार्थी को रास्ता धारा 251क के तहत दिया जाना संभव नहीं हैं क्योंकि धारा 251क में नया रास्ता स्वीकृत किया जाता है वह भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो तब लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अपीलांट के कथन से ही रास्ता उपलब्ध होना प्रमाणित है। हां इतना अवश्य है कि यह रास्ता कटानी नहीं हैं लेकिन रास्ता तो है ही। इस प्रकरण के संबंध में एक अन्य तथ्य यह भी है कि प्रार्थी अपीलांट ने जिस रास्ते की मांग की है वह आगोर व नाड़ी की भूमि से होकर गुजरता है। इस रास्ते को कटानी रास्ते के रूप में स्वीकृत करने

में कानूनी बाधा है क्योंकि आगोर व नाड़ी में से रास्ता देना प्रतिबंधित है फिर भी यदि रास्ता दिया जाना हो तो उसके लिये तहसीलदार की सहमति इस प्रकरण में संलग्न नहीं हैं अतः आगोर व नाड़ी से होकर कटानी रास्ता दिया जाना संभव नहीं हैं यदि मौके पर रास्ता बिना कटान के चालू है तो उसे पूवानुसार ग्राम वासी उपयोग में लाते हैं तो उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिये। इसके अलावा प्रार्थी/अपीलांट के खेत के पास पड़ोसी खातेदार श्रवण के द्वारा भूमि रास्ते के लिये खरीद करने से एक अन्य रास्ता भी उपलब्ध हो गया है। अतः ऐसी स्थिति में नये रास्ते की आवश्यकता इस प्रकरण में उचित प्रतीत नहीं होती है।

9 अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के हर बिंदु पर निर्णय पारित करते हुये प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया है। लेकिन अपीलांट/प्रार्थी प्रस्तावित रास्ते को कटानी रास्ते में बदलने की जिद पर अड़ा हुआ है। इस प्रकार अपीलांट की मांग धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुरूप नहीं हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहां तक प्रार्थी/अपीलांट को रास्ते को यदि किसी के द्वारा बंद किया जाता है तो वह चालू रास्ते को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार/ग्राम पंचायत से खुलवाने के लिये स्वतंत्र है। अतः उपरोक्त विवेचन से अपीलांट की अपील खारिज योग्य पाई जाती है।

10 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2016 यथावत रखा जाता है।

28/1/19

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 28.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/1/19

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर